दिनांक 12 अप्रैल, 2010 को 11 बजे एफ डी ए भवन, नई दिल्ली में इसके मुख्यालय में आयोजित हुई एफ एस एस ए आई की चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त

श्री पी.आई.सुवरथन, अध्यक्ष ने खाद्य प्राधिकरण की चतुर्थ बैठक में सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया। बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची **संलग्नक–1** में दी गई है। श्रीमती उपमा चौधरी, श्रीमती नवराज संधू, श्री के. राजेश्वर राव, श्री वी. बालासुब्रमण्यम, डा. (श्रीमती) टी.ए. कादरभाई, श्री ए. बी.शुक्ला, श्री विनीत चौधरी, डा. इंदिरा चक्रवर्ती. डा. एन. एन. वार्षणे, श्री बेजॉन मिश्रा और श्री गिब्सन जी. वेदमणि को, जो बैठक में उपस्थित नहीं हो सके, अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई।

मद सं. 1: सदस्यों द्वारा रूचि का प्रकटीकरण

सभी उपस्थित सदस्यों ने कार्यवाही के प्रारंभ होने से पहले, बैठक में विचार किए जाने हेतु कार्यसूची मदों के संबंध में 'रूचि की विशिष्ट घोषणा' पर हस्ताक्षर किए।

मद सं. 2: दिनांक 26 नवंबर, 2009 को आयोजित हुई पिछली बैठक के कार्यवृत्त और की–गई–कार्रवाई प्रतिवेदन की संपुष्टि

दिनांक 26 नवंबर, 2010 को आयोजित हुई खाद्य प्राधिकरण की तृतीय बैठक के कार्यवृत्त की और बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में की–गई–कार्रवाई प्रतिवेदन की संपुष्टि की गई।

मद सं. 3: एफ एस एस ए आई के वित्तीय वर्ष 2008–09 के लेखा का अनुमोदन

एफ एस एस ए आई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सदस्यों को सूचित किया कि दिनांक 8 मई, 2009 को आयोजित हुई खाद्य प्राधिकरण की द्वितीय बैठक में इसके द्वारा वर्ष 2008–09 के एफ एस एस ए आई के व्यय विवरण को अनुमोदित किया गया। कुल व्यय में मामूली परिवर्तन थे। वर्ष 2008–09 के लिए एफ एस एस ए आई के वार्षिक लेखे केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लिए नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा यथा विहित वाणिज्यिक प्रारूप में तैयार किए गए हैं। लेखों पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दिए जाने से पहले प्राधिकरण के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। खाद्य प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए एफ एस एस ए आई के वार्षिक लेखों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया।

अध्यक्ष ने सूचित किया कि एफ एस एस ए आई वर्तमान में केन्द्रीय सरकार की लेखाकरण प्रणाली का अनुसरण कर रहा है।एफ एस एस ए आई अपनी गतिविधियों के क्षेत्र और दायरे के मद्देनजर एक बहुत सुदृढ़ और पारदर्शी वित्त लेखाकरण प्रणाली रखने का लक्ष्य रखता है। ऐसी प्रणाली का विवरण जल्दी ही प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

मद सं. 4: अनुमोदन हेतु खाद्य संरक्षा और मानक नियमावली, 2010 का अंतिम प्रारूप

अध्यक्ष ने सूचित किया कि एफ एस एस ए आई ने दिनांक 26 नवंबर, 2009 को खाद्य प्राधिकरण की पिछली बैठक में इसके द्वारा प्रारूप नियमावली पर विचार किए जाने के बाद इस नियमावली के संबंध में हितधारकों के साथ व्यापक और विस्तृत परामर्श किया है। ये नियम खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अनुसार खाद्य संरक्षा संरचना/प्रणाली के संचालन और कार्यकरण से संबंधित हैं। एफ एस एस ए आई ने परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त निविष्टियों पर विचार किया है और अंतिम प्रारूप नियमावली प्रस्तुत करने से पहले प्रत्येक मुद्दे पर सजगता से निर्णय लिए हैं। खाद्य संरक्षा

और मानक नियमावली, 2010 से संबंधित अंतिम प्रारूप पर चर्चा के दौरान निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य थे–

i. नियम 3.4.1 के अंतर्गत बिंदु 2 के संदर्भ में, यह सुझाव दिया गया कि नमूनाकरण के दौरान साक्षी स्वतंत्र होने चाहिए और वे विनियामक दल के सदस्य नहीं होने चाहिए। यह स्पष्ट किया गया कि नमूनाकरण के दौरान स्वतंत्र साक्षी रखना सदैव व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो सकता है। किंतु दिशानिर्देशों में यह प्रावधान करने के लिए उपबंध किया जाएगा कि विनियामक दल के सदस्य साक्षी के रूप में केवल तभी हस्ताक्षर करेंगे जब स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध नहीं हो।

ii. ये चिंताएं व्यक्त की गईं कि क्रेता द्वारा नमूनाकरण तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं हो सकता है और इसलिए उस अधिकारी का संपर्क ब्योरा, जो नमूनाकरण प्रक्रिया में क्रेता की मदद कर सकता है, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि कानून इस संबंध में लचीलापन रखता है और कोई क्रेता उसकी ओर से किसी खाद्य उत्पाद का नमूना प्राप्त करने के लिए अभिहित अधिकारी से संपर्क कर सकता है। क्रेता के लिए ऐसे अधिकारी के संपर्क ब्योरे की आसानी से उपलब्धता/प्रदर्शन के संबंध में उपबंधों को दिशानिर्देशों में शामिल किया जाएगा।

iii. सदस्यों ने अवलोकन किया की कि पूर्व के प्रारूप में उल्लेख किया गया था कि अभिहित अधिकारी के पास खाद्य संरक्षा अधिकारी की कम से कम एक अर्हता होनी चाहिए, किंतु अंतिम प्रारूप में इसे हटा दिया गया है। अंडमान और निकोबार के प्रतिनिधि सदस्य ने उल्लेख किया कि एसडीएम को अभिहित अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है और वे खाद्य संरक्षा के संबंध में कोई तकनीकी पृष्ठभूमि नहीं रखते हैं। उद्योग के प्रतिनिधि सदस्य का अभिमत था कि अभिहित अधिकारी के पास तकनीकी अर्हता अवश्य होनी चाहिए और यदि वह तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त नहीं होता है, तो हमेशा गलत व्याख्या का जोखिम बना रहेगा। इसके अतिरिक्त, अनिवार्य प्रशिक्षण हेतु 2 वर्ष की अवधि काफी लंबी है और यह अधिकतम 1 वर्ष की होनी चाहिए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने उल्लेख किया कि अभिहित अधिकारी विज्ञान संबंधी/तकनीकी अर्हता नहीं रखता है, वह पूर्णतः एफएसओ की तकनीकी राय पर निर्भर करेगा जो कि वांछनीय स्थिति नहीं है। साथ ही, वह नए अधिनियम के अंतर्गत उसे सौंपे गए दायित्वों का, जो कि पीएफए अधिनियम में एलएचए के उत्तरदायित्वों की तुलना में अधिक व्यापक है, निर्वहन करने में सक्षम नहीं होगा।

एफ एस एस ए आई के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि अभिहित अधिकारी की अर्हता में संशोधन राज्यों को कार्यान्वयन में सुविधा प्रदान करने के लिए की गई है क्योंकि वे नए सिरे से तकनीकी अर्हता प्राप्त अभिहित अधिकारियों को भर्ती करने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अधिनियम कहता है कि अभिहित अधिकारी उप–प्रभागीय अधिकारी के रैंक का होना चाहिए और यह कोई अर्हता विनिर्दिष्ट नहीं करता है। नियम किसी भी प्रकार यह निर्बंधन नहीं लगाते कि एफएसओ अभिहित अधिकारी के रूप में पदोन्नत नहीं किया जा सकता है। किंतु, जब एफ एस एस ए आई खाद्य संरक्षा हेतु एकीकृत संवर्ग और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्य संरक्षा हेतु पृथक विभाग पर जोर दे रहा था, अभिहित अधिकारियों हेतु तकनीकी अर्हता को अनिवार्य बनाया जा सकता है। हमें अनिवार्य प्रशिक्षण की अवधि को छोटा करने के लिए प्रशिक्षण हेतु तंत्र और अवसंरचना विकसित करने की जरूरत है।

iv. उद्योग के प्रतिनिधि सदस्यों ने सुझाया कि एफएसओ की भूमिका अभिहित अधिकारी को तथ्यों को प्रस्तुत करने तक सीमित होनी चाहिए और वह लाइसेंस को निरस्त करने की सिफारिश करने के लिए प्राधिकृत नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि केवल प्रतिवेदन में दिए गए तथ्यों के आधार पर अभिहित अधिकारी स्थिति की गंभीरता समझने में सक्षम नहीं हो सकता है और इसलिए एफएसओ द्वारा अपने प्रतिवेदन में कार्रवाई की सिफारिश करना जरूरी है। एफ एस एस ए आई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने आगे कहा कि यदि एफएसओ लाइसेंस के निलंबन/निरस्त किए जाने हेतु सिफारिश भी करता है, तो भी कार्रवाई के संबंध में निर्णयन की शक्ति अभिहित अधिकारी के पास होती है। इसके अतिरिक्त, कानून कतिपय मामलों में एफएसओ के विरूद्ध कार्रवाई हेतु प्रावधान को उपबंध करता है। एफ एस एस ए आई लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन का आकलन करने और अधिनियम के अनुसार विशिष्ट कार्रवाइयों की सिफारिश करने के लिए एफएसओ हेतु जांच–सूची/दिशानिर्देश तैयार कर सकता है।

v. यह ध्यान में लाया गया कि नियम 12 के अंतर्गत टिप्पणी "स्वतंत्र साक्षी" के संबंध में उल्लेख करती है। यह राय प्रकट की गई कि अभियोग प्रारंभ करना 'स्वतंत्र' शब्द के कारण कठिन हो सकता है और यह साबित करना कि कोई स्वतंत्र है, स्वयं ढेरों कानूनी झंझट उत्पन्न करेगा। अतः, यह सुझाव दिया गया कि जहां कही भी संदर्भ आए, केवल 'साक्षी' शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए। विधायी विभाग के प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि नियमों में 'टिप्पणी' नहीं हो सकती है, बल्कि इसे उप–नियम या स्पष्टीकरण के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

vi. 'राज्य खाद्य प्राधिकरणों' के संबंध में पूछे गए प्रश्न के संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया कि राज्य स्तर पर खाद्य प्राधिकरण की अनुकृति रखना आवश्यक नहीं है क्योंकि इससे केवल भ्रम उत्पन्न होगा और यह एफएसएस अधिनियम, 2006 के मूल उद्देश्यों के अनुसार नहीं होगा। यह अधिनियम, ऐसे 'प्राधिकरण', यदि कोई हो, की संरचना, शक्तियों, कार्यों का भी उल्लेख नहीं करता है। अधिनियम में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि राज्यों में इस अधिनियम को कार्यान्वित करने वाले प्राधिकारी खाद्य संरक्षा आयुक्त, अभिहित अधिकारी, खाद्य संरक्षा अधिकारी इत्यादि होंगे।

vii. एक सुझाव यह था कि चूंकि दिन प्रतिदिन अधिकाधिक खाद्य श्रेणियां जैसे न्यूट्रास्यूटिक अनुपूरक खाद्य पदार्थ इत्यादि जुड़ते जा रहे हैं, एफएसओ की अर्हता में रसायनिक इंजीनियरिंग, फार्मेसी जैसे विषयों को शामिल किया जाना चाहिए। अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि औषधि खाद्य पदार्थ से भिन्न होती है और चूंकि खाद्य पदार्थों के संबंध में अधिकाधिक विज्ञान का प्रयोग हो रहा है, इस तकनीकी विभेद को बनाए रखने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त, अर्हता में 'समकक्ष' शब्द, यदि जरूरत पड़ती है, तो किसी भी विशिष्ट तकनीकी क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा।

viii. सदस्यों ने नियम 3.4.2 की बिंदु संख्या 6 में यथा सूचीबद्ध, नियम–पुस्तिका में विहित विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के कारण उत्पन्न होने वाले संभावित टकरावों से संबंधित मुद्दे को उठाया और सुझाव दिया कि प्रत्येक मानदंड के लिए उपयोग किए जाने वाली नियम–पुस्तिका को विनिर्दिष्ट किया जा सकता है। यह स्पष्ट किया गया कि प्रारूप केवल विद्यमान उपबंधों को इंगित करता है और अभी तक किसी भी विशिष्ट मानदंड के लिए विश्लेषण की पद्धति के संबंध में नियम–पुस्तिकाओं/साहित्यों के बीच ऐसे किसी भी विरोधाभास की सूचना नहीं मिली है। किंतु, यथोचित समय पर, खाद्य वस्तुओं के नमूनों का विश्लेषण करने के लिए उपयोग की जाने वाली इन नियम–पुस्तिकाओं पर विचार किया जाएगा और संबंधित वैज्ञानिक पैनल द्वारा इन्हें संहिताबद्ध किया जाएगा।

ix. नमूना प्रतिवेदन भेजने से संबंधित नियम 3.1.4 के अंतर्गत बिंदु 3 और नियम 3.4.2 के अंतर्गत बिंदु 5 को एक दूसरे का विरोधाभासी पाया गया। नमूने की खरीद और खाद्य व्यापार प्रचालक (एफबीओ) को नियम 3.4.2 के अंतर्गत बिंदु में शामिल किए जाने की जरूरत है।

प्राधिकरण ने प्राधिकरण की चर्चाओं/निर्णयों के आलोक में प्रारूप नियमों में उपयुक्त संशोधनों को अनुमोदित करने के लिए अध्यक्ष को प्राधिकृत करते हुए खाद्य संरक्षा और मानक नियम, 2006 संबंधी अंतिम प्रारूप को अनुमोदित किया और सिफारिश की कि एफ एस एस ए आई नियमों की अधिसूचना के संबंध में आगे कार्रवाई कर सकता है।

मद सं. 5: दिनांक 8 मई, 2009 को प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार खाद्य प्राधिकरण की संरचना में परिवर्तन

एफ एस एस ए आई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि दिनांक 8 मई, 2009 को हुई खाद्य प्राधिकरण की बैठक में इसके सुझावों के आधार पर, स्वतंत्र कोडेक्स प्रकोष्ठ, हिंदी प्रकोष्ठ, मुंबई प्रयोगशाला हेतु पर्याप्त कर्मचारी इत्यादि के संबंध में आवश्यक संशोधन किए गए है। कुल 531 पदों के साथ प्राधिकरण की नई संरचना का संशोधित प्रस्ताव अनुमोदनार्थ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है। खाद्य प्राधिकरण ने प्राधिकरण की संरचना के संबंध में संशोधित प्रस्ताव में परिवर्तनों को नोट किया।

मद सं. 6: सेवा नियमों को कतिपय मामलों में केन्द्रीय सरकार के नियमों के समतुल्य लाने के लिए इसमें परिवर्तन

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सदस्यों को सूचित किया कि दिनांक 8 मई, 2009 को खाद्य प्राधिकरण द्वारा इसकी बैठक में यथा अनुमोदित एफ एस एस ए आई के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमों के प्रस्ताव के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने यह सुझाव दिया था कि जब कभी भी नियम केन्द्रीय सरकार के नियमों के समतुल्य होते हैं, तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की किसी विशिष्ट अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है और प्रशासनिक मंत्रालय निर्णय लेने के लिए सक्षम होता है। केन्द्रीय सरकार के नियमों में से कोई भी विपथन होने पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। तदनुसार, प्रस्ताव को विपथनों का उल्लेख करते हुए और कुछ संशोधनों/परिवर्धनों को शामिल करते हुए जो उन्हें केन्द्रीय सरकार के नियमों के स्तर पर लाने के लिए किए गए हैं, वापस स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भेज दिया गया है। इसके अलावा, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से स्थानांतरित कर्मचारियों के हित की रक्षा के लिए, "खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 90 के अंतर्गत स्थानांतरित कर्मचारियों के संबंध में, इस विषय पर केन्द्रीय सिविल सेवा नियमावली के उपबंध लागू होंगे" के रूप में पठित खंड को प्रत्येक सेवा नियम के अंतर्गत शामिल किया गया है। सेवा नियमों के संबंध में संशोधित प्रस्ताव अनुमोदन हेतु भारत सरकार को भेजा गया है।

खाद्य प्राधिकरण ने एसएसएआई के कर्मचारियों हेतु सेवा नियमों और विनियमों में परिवर्तनों/परिवर्धनों को नोट किया।

मद सं. 7: वैज्ञानिक समिति के कार्यकरण की प्रक्रिया को अनुमोदित करना

प्राधिकरण ने वैज्ञानिक पैनलों और वैज्ञानिक समिति के कार्यकरण की प्रक्रिया पर विचार किया और उसे अनुमोदित किया।

मद सं. 8: खाद्य प्राधिकरण के सदस्यों हेतु दिशानिर्देश अनुमोदनार्थ

खाद्य प्राधिकरण ने खाद्य प्राधिकरण के सदस्यों हेतु हितों के उद्घाटन और गोपनीयता नयाचारों के संबंध में दिशानिर्देशों पर विचार किया और उन्हें अनुमोदित किया।

विभागों/संगठनों द्वारा नाम–निर्देशन के माध्यम से, जैसाकि वॉयस से श्री बेजॉन मिश्रा, रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से श्री गिब्सन जी. वेदमणि के मामले में हुआ अथवा संगठन से सदस्य की सेवानिवृत्ति के माध्यम से, जैसे कि एनडीडीबी से डा. एन.एन. वार्ष्णेय के मामले में हुआ, सदस्यों में परिवर्तन से संबंधित मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। एफ एस एस ए आई पहले ही मामले को सरकार के समक्ष ला चुकी है। अंततः, यह सहमति बनी कि किसी सदस्य का नाम निर्देशन करना खाद्य प्राधिकरण के हाथ में नहीं है और यह मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति के दायरे में है। अतः, यह सुझाव दिया गया कि जब कभी भी एफ एस एस ए आई के पास ऐसा संदर्भ आता है, तो इसे आवश्यक कार्रवाई हेतु सरकार को भेजा जा सकता है और इसे खाद्य प्राधिकरण के ध्यान में लाया जा सकता है।

अध्यक्ष ने सूचित किया कि जैसाकि पिछली बैठक में निर्णय हुआ था, सदस्यों की एक समिति ने हित टकराव के संबंध में श्री बेजॉन मिश्रा के मामले की सुनवाई की और प्रतिवेदन तैयार किया गया है। श्री मिश्रा ने प्राधिकरण के समक्ष अपने मामले को प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है। यह सहमति हुई कि समिति का प्रतिवेदन उस समय खाद्य प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है जब श्री बेजॉन मिश्रा भी उपस्थित हों।

मद सं. 9: वैज्ञानिक पैनलों/वैज्ञानिक समिति के विचाराधीन मुद्दों और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम आयात सुरक्षा प्रणाली के विकास में हुई प्रगति के संबंध में सूचनार्थ प्रस्तुति

अध्यक्ष ने सूचित किया कि सभी 8 वैज्ञानिक पैनलों और वैज्ञानिक समिति ने अपनी गतिविधियां पहले ही प्रारंभ कर दी है और अपने प्राथमिकता क्षेत्रों की पहचान की है। कुछ पैनलों ने पहले ही बहुत उपयोगी प्रारूप अवधारणा पत्र प्रस्तुत कर दिए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम आयात सुरक्षा प्रणाली के विकास संबंधी परियोजना भी समय–सूची के अनुसार चल रही है और क्षेत्रीय कार्यशालाओं में विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापार प्रक्रिया पुनः इंजीनियरिंग (बीपीआर) प्रतिवेदन पर चर्चा की जा रही है।

मद सं. 10: सूचना/अभिमत के लिए आनुवंशिक रूप से परिवर्तित खाद्य पदार्थों की लेबलिंग पर अवधारणा टिप्पण

अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया कि भारत सरकार ने पहले ही जीएम खाद्य पदार्थों की लेबलिंग के संबंध में एक प्रारूप अधिसूचना जारी कर दी है और इस मामले में की गई कार्रवाई के संबंध में सूचना प्राप्त करने हेतु एक अदालती मामला पहले से लंबित है। जीएम खाद्य पदार्थों की लेबलिंग के मामले पर वैज्ञानिक पैनलों द्वारा चर्चा भी की गई और एफ एस एस ए आई को एक माह के भीतर अपने अभिमतों को प्रस्तुत करना होगा क्योंकि अगली बैठक जुलाई, 2010 में है। जीएम खाद्य पदार्थों की लेबलिंग पर चर्चा के दौरान निम्नलिखित बिंदु उजागर हुए–

- उपभोक्ताओं और व्यापारियों की मांग के मद्देनजर लेबलिंग की जानी चाहिए।
- उपभोक्ताओं को एक सूचित विकल्प देने के लिए जीएम खाद्य पदार्थों की लेबलिंग की जानी चाहिए। क्या इस उद्देश्य को स्वैच्छिक लेबलिंग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, इसकी जांच की जानी होगी।

- यह सुझाव दिया गया कि हमें भारतीय संदर्भ में जीएम खाद्य पदार्थों की लेबलिंग के संबंध में अपने स्वयं के विनियम तैयार करने चाहिए।
- उद्योग प्रतिनिधि ने उल्लेख किया कि वे इस विषय पर चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर अपने अभिमतों को प्रस्तुत करेंगे।

मद सं. 11: अध्यक्ष के अनुमोदन से कोई अन्य मद

एक सुझाव था कि प्राधिकरण की बैठकों का एक अनंतिम कैलेन्डर (बैठक के अनंतिम सप्ताह को दर्शाने वाला) अग्रिम रूप से तैयार किया जा सकता है और सदस्यों को सूचित किया जा सकता है ताकि वे बैठक के दौरान अपनी उपस्थिति की योजना बना सके। इसके अतिरिक्त, यह भी सुझाव दिया गया कि बैठक की कार्यसूची बैठक से कम से कम 3 सप्ताह पहले उपलब्ध कराई जा सकती है। अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि इन सुझावों की व्यवहार्यता की जांच की जाएगी।

धन्यवाद ज्ञापन: अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन देते हुए बैठक समाप्त हुई।